"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2002—आश्विन 5, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2002

क्रमांक 2367/2002/1/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से. (1983), सचिव, ऊर्जा एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2002

क्रमांक 2361/1707/2002/1/2.—श्री एस. के. केहरि, भा. प्र. से. (1992), संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 2364/1910/02/2/एक/लीव.—श्रीमती निधी छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को दिनांक 7-9-02 से 13-9-02 (7 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 व 15-9-02 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर को आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कोरिया के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती छिब्बर यदि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती.

5. श्रीमती छिब्बर के अवकाश काल में श्री ए. एल. टोप्पो, अपर कलेक्टर, कोरिया अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 2384/1680/साप्रवि/2002/1/2/लीव.—श्री एस. के. केहरि, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिनांक 20 जून 2002 से 19 जुलाई 2002 (30 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ते हुए अनुमति दी जाती है.

2. श्री केहरि को अवकाश से लौटने पर संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पुन: अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. अवकाश काल में श्री केहरि को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर दिनांक 9 सितम्बर 2002

क्रमांक 2387/1781/साप्रवि/2002/1/2/लीव.—श्री आर. पी. मंडल, कलेक्टर बिलासपुर, को दिनांक 12-8-02 से 14-8-02 (तीन दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10 एवं 11-8-02 तथा दिनांक 15-8-02 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री मंडल के अवकाश काल में श्री एच. पी. किंडो, अपर कलेक्टर बिलासपुर अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, बिलासपुर के कार्य भी संपादित करेंगे.

3. श्री मंडल को अवकाश से लौटने पर, कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुन: अस्थाई रूप में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मंडल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. अवकाश काल में श्री मंडल को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2002

क्रमांक 1433/1274/आपर्या/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 के अंतर्गत राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निम्नानुसार सदस्य नामांकित करती है :—

(1)	विशेष सचिव, पर्यावरण एवं विकास विभाग एवं संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर.	उपाध्यक्ष
(2)	श्रीमती रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव, गृह विभाग.	सदस्य
(3)	श्रीमती इशिता राय, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	सदस्य
(4)	श्री गौरव द्विवेदी, उप सचिव, वित्त विभाग.	सदस्य
(5)	कलेक्टर, रायपुर	सदस्य

Raipur, the 24th August 2002

No. 1433/1274/H & E/2002.—In exercise of the powers conferred under Section 65 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby, nominate following as Board Members of Capital Area Development Authority, Raipur.

(1)	Special Secretary, Environment & Urban Development and Director, Urban Admn. & Town & Country Planning.	Vice-Chairman
(2)	Smt. Renu Pillai, Joint Secretary, Home department.	Member
(3)	Smt. Ishita Rai, Joint Secretary General Administration department.	Member
(4)	Shri Gourav Dwivedi Deputy Secretary, Finance deptt.	Member
(5)	Collector, Raipur	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2002

भू-अर्जन क्रमांक 03/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली कोकड़ीतराई गेजामुड़ा प. ह. नं. 2	48.541	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 26/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	टिकरी	0.320	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 27/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बीजा	4.376	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोंघा जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 28/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमने	1.010	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 29/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमने	1.266	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 30/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	लमकेना	0.915	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोंघा जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 31/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	टिकरी	0.125	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोंघा जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/37/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	मर्रीगुड़ा	4.22	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परि. केंप, कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के निर्माण.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/38/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	गोल्लागुड़ा	0.82	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परि. केंप, कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/39/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	गोटाईगुड़ा	0.682	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परि. कैंप, कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के निर्माण.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/31/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	भद्राकाली	1.39	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/32/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	मेटलाचेरू	0.413	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/33/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	गोटाईगुड़ा	0.279	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीज्य राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/34/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू हैं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	देपला	2.02	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/35/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	कोत्तूर	0.39	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर..	राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/36/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	तारलागुड़ा	0.016	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/40/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपटनम्	केशाईगुड़ा	5.80	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 838/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होने/उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मुंगलाटोला प. ह. नं. 21	0.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सुरही कर्रा व्यपवर्तन योंजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 839/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-देऊरगांव, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
363	0.11
464	0.09
615	0.09
6.05	0.07

(1)	(2)
550	0.09
558	0.03
549/2	0.05
360	0.05
620	0.04
616	0.11
610	0.09
552	0.16
559	0.09
457/1	0.09
614	0.14
606	0.14
549/1	0.13
526	0.05
562	0.10
योग	1.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनपुरी माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 840/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-सुवरतला, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
688	0.13
योग	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरही कर्रा व्यपवर्तन के अंतर्गत भरदा माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 841/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-भरदा लोधी, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
201	0.09
210	0.07
305	0.06
307	0.11
350	0.18
550	0.11
589	0.04
649	0.14
648	0.11

(1)	(2)
200/2	0.05
211/2	0.03
586	0.06
582	0.04
543	0.09
581	0.12
591	0.05
644	0.01
209	0.05
208	0.11
212	0.01
306	0.11
361	0.52
544	0.08
583	0.05
592	0.07
200/1	0.05
670	0.01
योग	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरदा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 842/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गातापार, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
503	0.98
561	0.82
541	0.74
505	0.05
543	1.70
534	0.70
508	
551	1.40
553	1.38
510	1.95
योग	9.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गातापार जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 सितम्बर 2002

क्रमांक 843/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-परपोडा, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1243	0.06
1252/2	0.11

(1)	(2)
1256/5	0.22
1265/2	0.15
1256/6	0.07
1246	0.09
1256/4	0.08
1257	0.08
1266	0.15
1250	0.13
1256/3	0.01
1265/1	0.09
1267	0.06
योग	1.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शिवनाथ नदी (सिंवारघाट) वृहत पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.